"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 जून 2013—ज्येष्ठ 27, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, कैपीटल काम्पलेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्रमांक 4958/डी. 150/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्रमांक 1 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यतः, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अंतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) का अस्थाई संशोधन.

2\. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), अध्यादेश की धारा 3, 4, 5, 6 एवं 7 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए, प्रभावशील होगा.

धारा 2 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ञञ) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यट के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी अथवा निकाय होगा."

धारा 50-ख की उप-धारा (1) का संशोधन.

4\. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) राज्य निर्वाचन आयोग सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों का संचालन करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करेगा."

धारा 50-ख की उप-धारा (2) का संशोधन.

5\. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा जैसा कि आयोग की राय में ऐसी सहकारी सोसाइटियों के संबंध में निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो."

धारा 50-ख की उप-धारा (7) का संशोधन.

6\. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(7) आयोग को निर्वाचन में सहयोग एवं सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा करने की शक्तियां होंगी तथा ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान संपूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे."

7. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

धारा 50-ख की उप-धारा (9) का संशोधन.

"(9) किसी सोसाइटी के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन करने में उपगत समस्त व्यय, राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप में आयोग को भुगतान किये जायेंगे तथा उसकी वसूली उस सोसाइटी से, राज्य सरकार द्वारा विहित अनुसार की जायेगी."

रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्रमांक 4958/डी. 150/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 1 of 2013)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2013

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

The Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3, 4, 5, 6 and 7 of this Ordinance.

Amendment of Section 2.

3. For clause (jj) of Section 2 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(jj) "State Election Commission" means the State Election Commission referred to in Article 243-K of the Constitution of India, which shall be the authority or body for the purpose of superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls, for and the conduct of, all elections to a co-operative society, under the Article 243-ZK of the Constitution of India."

Amendment of sub-section (1) of Section 50-B.

4. For sub-section (1) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(1) The State Election Commission shall conduct all elections of Co-operative society and exercise the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls subject to the provisions of this Act."

Amendment of sub-section (2) of Section 50-B.

5. For sub-section (2) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(2) The State Election Commission shall in consultation with the State Government appoint such numbers of officers and other staff as may be required, in the opinion of the Commission for conducting election in respect of co-operative societies."

Amendment of sub-section (7) of Section 50-B.

6. For sub-section (7) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(7) The Commission shall have the powers to requisition the services of other officers, to aid and assist in the election and such requisitioned officers shall be under the overall supervision and control of the Commission during the election."

Amendment of sub-section (9) of Section 50-B.

7. For sub-section (9) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"(9) All expenses incurred in conducting elections of the board of any society shall be paid to the commission, in advance, by the State Government and the same shall be recovered from such society by the State Government in the manner as may be prescribed by the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.